न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या – 12 / 2024

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेन्टस
सुखराम पुत्र छेलाराम जाति कुम्हार निवासी हनुमान नगर एणियॉ की ढाणियॉ ामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।		01.ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपच 02.श्रीराम पुत्र भैराराम 03.राजूराम पुत्र भैराराम 04.जुलाराम पुत्र भैराराम 05.जवरीलाल पुत्र भैराराम 06.घेवरराम पुत्र भैराराम 07.ताराचंद पुत्र भैराराम 08.जालाराम पुत्र भैराराम जाति कुम्हार निवासी गण हनुमान नगर एणियॉ की ढाणियॉ झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर। 09.राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार लूणीं प्रफोर्मा पक्षकार 10.दयालरा प्रजापत पुत्र लूणाराम जाति प्रजापत निवासी हनुमान नगर झालामण्ड चौराहा तहसील व जिला जोधपुर 11.राजूराम पुत्र श्री बशीलाल जाति प्रजापत निवासी हनुमान नगर झालामण्ड चौराहा तहसील व जिला जोधपुर

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1132 ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा दिनांक 05.02.2008 को स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण खारिज किया जाने के विरूद्व पेश किया गया ।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – प्रहलादसिह राजपुरोहित उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टगण सूचना के बावजूद अनुपस्थित।

:: आदेश ::

दिनांक : 11/12/2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 1132 दिनांक 05.02.2208 ग्राम पचायत शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण किया गया जिस के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्टस व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 8 व 10, 11 की सहखातेदारी सयुक्त प्रथम खसरा नम्बर 41 रकबा 2.3795 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 42 रकबा 13.3060 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम खाता संख्या नया 106 व पुराना 121 तथा खसरा नम्बर 350 रकबा 4.6620 किस्म बारानी प्रथम नया खाता संख्या 120 पुराना 106 जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 वाके ग्राम श्री राजेश्वर नगर पटवार हल्का कांकाणी तहसील लूणी मे आयी हुई है जो वर्तमान खतौनी बन्दोबस्त एव जमाबन्दी से भी स्पष्ट है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1132 छेलाराम की ...

के पश्चात भरा गया जिसमे उनके दो पुत्र व चार पुत्रियों का बराबर जो 1/6, 1/6 प्रत्येक हक व हिस्सा था तथा छेलाराम के पुत्रीयो द्वारा अपने एक भाई अपीलान्ट सुखराम के पक्ष मे अपने हक हिस्से की भूमि का हकतर्कनामा निष्पादित किया गया जिस पर आज भी सुखराम काबिज काश्त है तथा हकतर्कनामा के बाद सुखराम के नाम से 5/6 हक हिस्सा नामान्तरकरण दर्ज किया जाना था लेकिन लिपिकीय त्रुटीवंश सुखराम के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है इसलिए अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1132 आदेश दिनांक 05.02.2008 को नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर तहसीलदार लूणी को पुन जॉच कर अपीलाण्ट के पक्ष मे जो हक हिस्सा जो हकतर्कनामा के बाद बनता है जो अपीलाण्ट सुखराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया जाने हेतु न्यायालय मे अपील पेश की गई।

अपीलाण्ट के अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को रजि, एडी से समन जारी किया गया सूचना के बावजूद रेस्पोडेण्ट उपस्थित नही रेस्पोडेण्ट को जबाव वास्ते अनेक अवसर दिया गया अपीलाण्ट द्वारा अपील मे बहस वास्ते निवेदन किया गया जिसे पर सुना गया।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 1132 आदेश दिनांक 05.02.2008 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जावे कि पुन जॉच कर अपीलाण्ट के पक्ष मे जो हक हिस्सा जो हकतर्कनामा के बाद बनता है जो अपीलाण्ट सुखराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया जाने के बाद यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण के 1132 के विरूद्व अपील पेश की है नामान्तरकरण हकतर्कनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है नामान्तरकरण संख्या 1132 दिनाक 05.02.2008 को स्वीकृत किया गया जो यथावत रखा जाता है अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है अपीलाण्ट अपना हक हिस्सा शुद्वीकरण करवाने के लिए धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करे। आदेश सुनाया गया पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज कोसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।